न्यायालय– विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, कन्नौज।

प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–391/2026

C.N.R.No.U.P.K.J.010010032026

शिवदान पुत्र शिवराम सिंह राठौर निवासी फरीदपुर थाना छिबरामउ व जिला कन्नौज।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... अभियोजन पक्ष

सम्बन्धित विशेष सत्र परीक्षण सं0 54/2026
अपराध सं0 494/2025
धारा– 333, 296(b), 115(2), 352, 76 बी0एन0एस0
व धारा 3(1)(द)एवं 3(1)(w)(i) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
थाना छिबरामउ व जिला कन्नौज।

जमानत आदेश

06.04.2026

1. प्रार्थी/ अभियुक्त **शिवदान सिंह** की ओर से मु0अ0सं0 494/2025 धारा 333, 296(b), 115(2), 352, 76 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द)एवं 3(1)(w)(i) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना छिबरामउ व जिला कन्नौज के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु जमानत प्रार्थनापत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है। वादिनी को नोटिस तामील है। पूर्व तिथि पर वादिनी को उपस्थित होने हेतु अन्तिम अवसर दिया गया था। वादिनी न्यायालय में उपस्थित नहीं है।

2. प्रार्थी/ अभियुक्त **शिवदान सिंह** की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र पर बल देते हुए यह कथन किया गया कि वह निर्दोष है उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। उसने प्रस्तुत प्रकरण से सम्बन्धित कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसने वादी पर किसी प्रकार का हमला करने का प्रयास नहीं किया न ही अश्लील कार्य किया न ही वादिनी को निवस्त्र करने का प्रयास किया। उसने फोन पर न तो गाली–गलौज किया न ही वादिनी के घर गया। वादिनी का न तो कोई मेडिकल हुआ न ही कोई चोट है। वादिनी ने स्वंय यह स्वीकार किया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त का उसके पति के पास रूपया जमा है रूपया न देना पडे तथा काम न करना पडे इसलिये यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। उक्त आशय का शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए उचित जमानत व मुचलके पर जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया।

3. उपरोक्त के विरूद्ध विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा **पीडिता** ने इस आशय का प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 न्यायालय में प्रस्तुत किया कि दिनांक 16.04.2025 को समय करीब सुबह 08:00 बजे शिवदान ने उसके फोन नं0 पर जाति सूचक शब्दों से उसे अपमानित करते हुए गाली–गलौज की तथा बुरी नियत से अश्लीलता की जिसकी कुछ आडियो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। जब इसकी शिकायत उसने प्रशासन में न करके लोक लाज की वजह से कुछ भले लोगों से की तो उक्त शिवदान अपने को अपमानित समझते हुए अपने साथ रोहित व रोशन एवं अपने सहयोगी सत्यम

को साथ लेकर उसके दरवाजे पर आये और उसे देखते ही कहने लगे कि आज तुम बहुत बन–ठन के बैठी हो उसे बहुत अच्छी लग रही हो। उसे तुम्हारे साथ कुछ करना है तब उसने इस अश्लीलता का विरोध किया तो उक्त सभी लोग एक राय होकर उसे मारने को झपटे तो डर की वजह से वह घर के अन्दर घुस गयी तो सभी लोग उसका पीछा करते हुए उसके घर के अन्दर घुस आये और उसके साथ मारपीट करते हुए बुरी नियत से उसके कपडे फाड़ दिये। झगडे का शोर सुनकर बीच बचाव करने आये गोविन्द के साथ भी मारपीट की, जिससे उसके व गोविन्द के अन्दरूनी गंभीर चोटे आयी।

5. वादिनी के उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय के आदेश से थाना ठठिया व जिला कन्नौज में मु0अ0सं0 494/2025 धारा 333, 296(b), 115(2), 352, 76 बी0एन0एस0 व धारा 3(1)(द) एवं 3(1)(w)(i) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में अभियुक्तगण शिवदान, रोहित, सत्यम व रोशन के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी। बाद विवेचना आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

6. उभय पक्षों के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त पर यह आरोप है कि अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर गाली–गलौज करते हुए सर्वजनिक स्थाल पर अश्लील शब्द कहे एवं घर में घुसकर वादिनी के साथ अश्लीलता करते हुए उसके कपडे फाड़ दिये तथा उसके व गोविन्द के साथ मारपीट कर उन्हें चोटे पहुंचायी तथा यह जानते हुए कि वादिनी अनुसूचित जाति की सदस्य है उसके साथ घर में घुसकर बिना उसकी मर्जी के लैंगिक हमला करते हुए उसके कपडे फाड़ दिये।

पीडिता/ वादिनी ने अपने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173 (4) बी0एन0एस0एस0 में अभियुक्तगण द्वारा उसके व गोविन्द के साथ मारपीट किये जाने का कथन किया है, परन्तु पत्रावली पर कहीं भी पीडिता व उसके चचिया ससुर गोविन्द की कोई चिकित्सीय आख्या संलग्न नहीं है। आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। अन्य कोई साक्ष्य संकलन हेतु शेष नहीं है। अभियोजन द्वारा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं बताया गया है। प्रकरण सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है।

8. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियॉ अपराध की प्रकृति व गंभीरता को देखते हुए इस स्तर पर केस के गुणदोष पर न जाते हुए अभियुक्त उपरोक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार पाते हुए उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **शिवदान सिंह** की ओर से उपरोक्त वर्णित मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा **मु0 पच्चहतर हजार रूपये (75,000 हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की **दो प्रतिभू** दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

(पूर्णिमा पाठक)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट
कन्नौज।
J.O Code UP 1570